

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 110-Khinwsar Assembly Constituency.

In pursuance of the provision contained in section 66 of the representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri HANUMAN BENIWAL,

VILLAGE & POST BARANGAON TEHSIL & DIST. NAGOUR

sponsored by **RASHTRIYA LOKTANTRIK PARTY** (name of the recognised/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place – Shri B.R Mirdha Govt PG College, Nagaur

Dated – 03 December 2023



(Poonam)

Returning Officer

Assembly Constituency 110-Khinwsar

Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Khinwsar

(Poonam)

Returning Officer

Legislative Assembly Constituency, 110-Khinwsar

Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate Khinwsar

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

110-खींवसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, में घोषणा करता हूँ कि -

श्री हनुमान बेनीवाल,

ग्राम व पोस्ट बरणगांव तहसील व जिला नागौर

जो राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान - श्री बी.आर. मिर्धा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नागौर

दिनांक - 03 दिसम्बर 2023



(पूनाम)

रिटर्निंग अधिकारी

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 110 खींवसर
उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, खींवसर

(पूनाम)

रिटर्निंग ऑफिसर

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 110-खींवसर
उपखण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, खींवसर